

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क. :- 2345 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 30 / 12 / 14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. धर्मपाल कुशवाह पुत्र रतन सिंह कुशवाह उम्र 22 वर्ष  
निवासी :- ग्राम नीरपुरा, थाना :- मौ, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

( आज दिनांक :- 06 / 03 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी धर्मपाल पर धारा :- 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 11 / 11 / 2014 की शाम लगभग 05:30 बजे स्थित मौ रोड़ बालक उ.मा. विद्यालय के पास, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 11 / 11 / 2014 शाम लगभग 05:30 बजे थाना गोहद के सहायक उप निरीक्षक उमाकान्त शर्मा आरक्षक भूरालाल एवं आरक्षक उमेश के साथ इलाका गश्त हेतु मौ रोड़ बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहद के पास वाहन चैकिंग के दौरान सामने से आने वाली बस रोकी, जैसे ही एक व्यक्ति बस से उतरकर भागा, जिसे संदिग्ध होने से फोर्स की मदद से रोककर पकड़ा। आरोपी की तलाशी ली तो उसके पेंट में बाईं तरफ एक कट्टा 315 बोर देशी लोडेड मिला। तभी पीछे से आ रही मोटर साईकिल को रोककर मोटर साईकिल पर सवार साक्षीगण भोलाराम जाटव एवं अशोक शर्मा निवासी : नीरपुरा के समक्ष आरोपी से नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम धर्मपाल पुत्र रतन सिंह कुशवाह, निवासी :- ग्राम नीरपुरा का होना बताया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 25 / 27 आयुध अधिनियम की परिधि में आने से आरोपी से उक्त कट्टा एवं कारतूस जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् आरोपी को मय माल मुल्जिम थाना वापस लाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 374 / 2014 अन्तर्गत धारा 25 / 27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षीगण आलोक शर्मा, भोलाराम जाटव, आरक्षक भूरालाल एवं आरक्षक उमेश के कथन लेखबद्ध

किये गये। जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस का परीक्षण कराया गया, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त धर्मपाल के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी धर्मपाल ने दिनांक : 11/11/2014 की शाम लगभग 05:30 बजे स्थित मौ रोड़ बालक उ.मा. विद्यालय के पास, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष ?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक - 01

07. अभियोजन साक्षी उमाकान्त शर्मा अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 11/11/2014 को थाना गोहद में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह आरक्षक भूरा जामले एवं आरक्षक उमेश के साथ इलाका गश्त के लिए गये थे। साक्षी आगे कहता है कि वापस आकर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने वाहन चौकींग करने पर मौ तरफ से आने वाली बस को रोका तो एक लड़का उसमें से उतरकर भागा, संदेहास्पद परिस्थिति में होने पर मय फोर्स उसका पीछा किया तो उसके पेंट में बाई तरफ एक कट्टा लोडेड रखे पाया गया। कट्टा के संबंध में पूछने पर उसने लाइसेंस ना होना व्यक्त किया एवं पीछे से मोटर साईकिल आई उन्हें रोककर उनके सामने आरोपी का नाम पता पूछा गया तो आरोपी ने उसका नाम धर्मपाल पुत्र रतन सिंह कुशवाह, निवासी :- नीरपुरा का होना बताया था। साक्षी भोलाराम एवं आलोक के समक्ष मौके पर आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं एक राउण्ड जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जब्ती पंचनामा पर उसके द्वारा जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस का अक्श बनाया गया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी का कृत्य धारा 25/27

आयुध अधिनियम के अन्तर्गत होने से आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया गया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् वह मय माल आरोपी को थाना वापस लेकर आया था, जहाँ उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा में वापसी इन्द्राज करने के बाद आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 374/14 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध की गई, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान साक्षी भोलाराम एवं आलोक शर्मा के बताए अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा एवं कारतूस, वहीं कट्टा एवं कारतूस हैं, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किया गया था। कट्टा आर्टिकल ए-01 तथा राउण्ड आर्टिकल ए-02 हैं।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में उमाकान्त अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह नहीं बता सकता कि पुलिस थाना गोहद के रोजनामचा दिनांक : 11/11/2014 में उसने इलाका गश्त पर जाने का कोई उल्लेख किया था, अथवा नहीं। साक्षी आगे कहता है कि उसने रोजनामचा में दिनांक : 11/11/2014 को वापसी दर्ज कराई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में उमाकान्त अ.सा.06 का कहना है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि अपराध के अभियोग पत्र के साथ घटना दिनांक के रोजनामचा सान्हा की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गई है, अथवा नहीं। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपित घटना दिनांक की अभियोग पत्र के साथ रवानगी या वापसी रोजनामचे की कोई सत्यप्रति या छायाप्रति संलग्न नहीं की गई हैं और यह भी उल्लेखनीय है कि उमाकान्त अ.सा.06 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई रवानगी-वापसी रोजनामचा सान्हा का क्रमांक भी दर्शित नहीं किया गया, जिस पर उसने घटना दिनांक को रवानगी या वापसी रोजनामचा में प्रविष्ट की हो।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में उमाकान्त अ.सा.06 का कहना है कि दिनांक : 11/11/2014 को इलाका गश्त पर निकलने के समय 11-12 बजे से लेकर शाम 05 बजे तक वह जिन-जिन स्थानों पर गया उनके बारे में वह आज नहीं बता सकता। लेकिन उसका यह कहना है कि वह दिनांक : 11/11/2014 को इलाका गश्त के लिए 11-12 बजे के बीच निकला था और उस समय उसके साथ आरक्षक भूरा जामले एवं उमेश दोनों थे। जबकि आरक्षक भूरालाल अ.सा.04 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि पुलिस थाना गोहद से घटना दिनांक को उसकी रवानगी दोपहर साढ़े तीन बजे डाली गई थी और उसकी चैकिंग टीम में वरिष्ठ एएसआई उमाकान्त शर्मा भी थे। इस प्रकार उमाकान्त अ.सा.06, भूरालाल अ.सा.04 एवं अन्य आरक्षक उमेश घटना दिनांक को आरोपित घटनास्थल पर जाने के लिए थाने से कितने बजे निकले थे, इस वावत् उमाकान्त अ.सा.06 एवं भूरालाल अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में मध्य लगभग साढ़े तीन से चार घण्टे का अन्तर है, जो कि अत्यंत विरोधाभाषपूर्ण है और इस वावत् उमाकान्त अ.सा.06 एवं भूरालाल अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को संदेहास्पद बनाता है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में उमाकान्त अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा कट्टे को सील करते समय कोई नमूना सील नहीं लगाई गई थी और जब्ती पत्रक प्र.पी.02 पर भी उसने कोई नमूना सील अंकित नहीं की थी। जब्ती पत्रक प्र.पी.02 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि जब्ती पत्रक पर नमूना सील के स्थान पर कोई सील नमूना अंकित नहीं है। यह तथ्य कथित रूप से जब्तशुदा आयुध को सीलबंद किये जाने के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है। इसलिए यह भी संदेहास्पद प्रतीत होता है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कट्टा आर्टिकल ए-01 एवं कारतूस आर्टिकल ए-02 वहीं कट्टा एवं कारतूस है, जो कथित रूप से आरोपित घटना में आरोपी से जब्त किये गये थे।

11. उमाकान्त अ.सा.06 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि मौके पर साक्षी भोलाराम एवं आलोक के समक्ष आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.02 एवं मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था। जबकि साक्षी भोलाराम अ.सा.02 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में एवं साक्षी आलोक शर्मा अ.सा.03 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 पर उन्होंने थाने पर हस्ताक्षर किये थे। उल्लेखनीय है कि जब उमाकान्त अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार साक्षी भोलाराम एवं आलोक के समक्ष मौके पर ही अर्थात् घटनास्थल पर ही जब्ती पत्रक प्र.पी.02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 लेखबद्ध कर लिये गये थे और उक्त साक्षी मौके पर मौजूद भी थे, तब उक्त साक्षी भोलाराम अ.सा.02 एवं आलोक शर्मा अ.सा.03 के हस्ताक्षर मौके पर ही जब्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक पर क्यों नहीं कराये गये, इस वावत् अभियोजन साक्ष्य मौन है और इस वावत् उमाकान्त अ.सा.06, भोलाराम अ.सा.02 एवं आलोक अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है कि जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक पर भोलाराम एवं आलोक के हस्ताक्षर कहाँ कराये गये थे।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में भूरालाल अ.सा.04 का कहना है कि आरोपी धर्मपाल बस से उतरकर पन्द्रह-बीस कदम ही भाग पाया था, तभी उसके द्वारा आरोपी धर्मपाल को पकड़ लिया गया था। जबकि उमाकान्त अ.सा.06 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में इस वावत् कहना है कि जिस स्थान पर वह चैकिंग कर रहा था, उससे डेढ़ सौ -दो सौ कदम दूर पर जाकर हम तीनों अर्थात् उमाकान्त अ.सा.06, भूरालाल अ.सा.04 एवं उमेश ने आरोपी को एक साथ पकड़ लिया था। उमाकान्त अ.सा.06 आगे कहता है कि उसने आरोपी को मुख्य मार्ग से हटकर नीचे खेतों में जाकर पकड़ा था। इस प्रकार आरोपी को बस से पन्द्रह-बीस कदम दूर पकड़ा गया था, अथवा डेढ़ सौ-दो सौ कदम दूर एवं आरोपी को भूरालाल ने पकड़ा था, अथवा उमाकान्त ने, अथवा उमाकान्त, भूरालाल एवं उमेश तीनों ने एक साथ पकड़ा था, इस वावत् उमाकान्त अ.सा.06 एवं भूरालाल अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में भूरालाल अ.सा.04 का कहना है कि उसका पुलिस कथन दिनांक : 11/11/2014 को उमाकान्त अ.सा.06 द्वारा थाने पर ही लेखबद्ध किया गया था। जबकि उमाकान्त अ.सा.06 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में साक्षी भूरालाल अ.सा.04 का पुलिस कथन लेखबद्ध किये जाने का कोई तथ्य नहीं बताया है, बल्कि उसने केवल साक्षी आलोक एवं भोलाराम के कथन उसके द्वारा लेखबद्ध किया जाना बताया है। इसी प्रकार साक्षी हिम्मत सिंह अ.सा.07 ने उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया है कि दिनांक : 12/11/2014 को थाना गोहद के अपराध क्रमांक 374/2014 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने आरक्षक भूरालाल एवं उमेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। इस प्रकार भूरालाल अ.सा.04 के कथन उमाकान्त अ.सा.06 एवं हिम्मत सिंह अ.सा.07 में से किसके द्वारा लेखबद्ध किये गये थे और उक्त कथन दिनांक : 11/11/2014 को अथवा दिनांक : 12/11/2014 को लेखबद्ध किये गये थे, इस वावत् भूरालाल अ.सा.04, उमाकान्त अ.सा.06 एवं हिम्मत सिंह अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

14. साक्षी भोलाराम अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह आरोपी धर्मपाल को जानता है, क्योंकि आरोपी उसके गांव का है। जब वह गांव से आ रहा था, तभी एक सिपाही एवं एक दीवान जी आरोपी धर्मपाल को पकड़े हुये थे। पुलिस वालों ने उसे बताया था कि आरोपी के पास कट्टा है। तब उसने पुलिस वालों से कहा था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था। जब्ती पंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 एवं प्र.पी.03 के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में भोलाराम अ.सा.02 का कहना है कि घटना शाम पाँच बजे की है, उस समय आरोपी धर्मपाल भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे थी। आरोपी ईंटों के भट्टे के चक्कर लगा रहा था और पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। साक्षी आगे कहता है कि उसने आरोपी के पास कोई कट्टा नहीं देखा था, पुलिस वालों के पास कट्टा था। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कट्टा जब्त नहीं किया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में भोलाराम अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि कट्टा एवं कारतूस अगर पुलिस ने आरोपी के पास रख दिया हो, तो उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में भोलाराम अ.सा.02 का कहना है कि उसने घटनास्थल पर कोई बस नहीं देखी थी। जबकि उमाकान्त अ.सा.06 एवं भूरालाल अ.सा.04 के अनुसार कट्टा एवं कारतूस जब्त होते समय बस घटनास्थल पर मौजूद थी। इस प्रकार भोलाराम अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में उसके समक्ष आरोपी से कट्टा एवं कारतूस जब्त होने के कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं।

15. साक्षी आलोक शर्मा अ.सा.03 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 14/09/2015 से लगभग छः-सात महीने पहले जब वह अपने गांव से गोहद के लिए आ रहा था, तभी रास्ते में कैची की पुलिया के पास आरोपी धर्मपाल भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे थी। आरोपी धर्मपाल उसके गांव का

था, इसलिए उसे देखकर उसने गाड़ी रोक ली थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने आरोपी से कट्टा एवं कारतूस पुलिस द्वारा जब्त किये जाते हुए नहीं देखा था। पुलिस वालों ने उससे जब्ती पत्रक प्र.पी.02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 के बी से बी भागों पर हस्ताक्षर करा लिये थे। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आलोक शर्मा अ.सा.03 ने पुलिस कथन प्र.पी.04 का ए से ए भाग पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी से 315 बोर का एक कट्टा एवं एक कारतूस पुलिस द्वारा जब्त किया गया था। इस प्रकार आलोक अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पुलिस द्वारा उसके समक्ष आरोपी धर्मपाल से कट्टा एवं कारतूस जब्त किये जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

16. साक्षी राजकिशोर अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 21/11/2014 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आरमोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने थाना गोहद के अपराध क्रमांक 374/14 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम में जब्तशुदा एक 315 बोर का देशी कट्टा, एक 315 बोर के जिंदा कारतूस की जाँच उसके द्वारा की गई थी। जाँच के दौरान कट्टा का एक्शन चैक किया गया, एक्शन सही पाया गया, कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। साक्षी आगे कहता है कि कट्टे की सम्पूर्ण लम्बाई 9.5 इंच, बैरल की लम्बाई 5.5 इंच तथा बॉडी ग्रिप की लम्बाई 04 इंच थी, ग्रिप लकड़ी का लगा हुआ था। एक कारतूस 315 बोर का कारतूस चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता है, उक्त कारतूस की पैदी पर 08 एम.एम.के.एफ. लिखा था। साक्षी आगे कहता है थाना गोहद से आरक्षक क्रमांक 276 हरवीर सिंह के द्वारा थाना प्रभारी की तहरीर, पंचनामा, एफआईआर एवं जब्ती की नकल साथ में प्राप्त हुई थी। कट्टा एवं कारतूस एक साथ एक सफेद कपड़ा में सीलबंद जाँच हेतु प्राप्त हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि उक्त कट्टा एवं कारतूस की जाँच कर अपनी नमूना सील लगाकर उसी कपड़ा में सील बंद कर पुनः शास्त्रागार में जमा किया गया था। इस वावत् उसके द्वारा दी गई आयुध जाँच रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी राजकिशोर अ.सा.05 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई जाँच रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रति-परीक्षण उपरांत भी राजकिशोर अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्विक रूप से अखण्डित रहा है। साक्षी राजकिशोर अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी से जब्तशुदा 315 बोर का कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था और आरोपी से जब्तशुदा 315 बोर का जिंदा कारतूस भी फायर किये जाने योग्य था।

17. साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 09/12/2014 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 728/दिनांक : 25/11/2014 द्वारा थाना गोहद के अपराध क्रमांक 374/2014 से

संबंधित केस डायरी एवं सील बंद आयुध आरक्षक क्रमांक 322 उमेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात् जिला दण्डाधिकारी श्री मधुकर आग्नेय द्वारा अभियुक्त धर्मपाल सिंह पुत्र रतन सिंह, निवासी :- नीरपुरा, थाना-मौ, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृति प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिलादण्डाधिकारी श्री मधुकर आग्नेय के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने श्री मधुकर आग्नेय के अधीनस्थ के रूप में आठ माह तक कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों को पहचानता है। साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है। साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी धर्मपाल के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

18. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन साक्ष्य अत्यंत विरोधाभासपूर्ण एवं संदेहास्पद है और अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी धर्मपाल ने दिनांक :- 11/11/2014 की शाम लगभग 05:30 बजे स्थित मौ रोड़ बालक उ.मा. विद्यालय के पास, उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

### अंतिम निष्कर्ष

19. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी धर्मपाल के विरुद्ध धारा 25(1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी धर्मपाल को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B(a)) से दोषमुक्त किया जाता है।

20. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

21. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा एवं जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

